"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010— आश्विन 2, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिशेष कुमार यादव पिता स्वर्गीय आर. एल. यादव, उम्र-32 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 5/सी, सड़क नं. 28, सेक्टर 10 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र विजय कुमार यादव जिसकी जन्मतिथि 30-9-2007 है का नाम परिवर्तित कर नया नाम विशेष कुमार यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को विशेष कुमार यादव आत्मज अभिशेष कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
विजय कुमार यादव आत्मज-श्री अभिशेष कुमार यादव निवासी-क्वार्टर नं. 5/सी, सड़क नं. 28 सेक्टर 10, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	विशेष कुमार यादव आत्मज-श्री अभिशेष कुमार यादव निवासी-क्वार्टर नं. 5/सी, सड़क नं. 28 सेक्टर 10, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष कुमार सिंह आत्मज स्वर्गीय जगतपाल सिंह, उम्र-39 वर्ष, निवासी-ई. डब्ल्यू. एस. 6/3, वैशाली नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री जिज्ञासा बैस जिसकी जन्मतिथि 11-11-2005 है का नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रतिष्ठा बैस रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को प्रतिष्ठा बैस पिता मनीष कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम-	नया नाम
कुमारी जिज्ञासा बैस पिता-श्री मनीष कुमार सिंह निवासी-ई. डब्ल्यू. एस. 6/3 वैशाली नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुमारी प्रतिष्ठा बैस पिता-श्री मनीष कुमार सिंह निवासी-ई. डब्ल्यू. एस. 6/3 वैशाली नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूप नारायण शर्मा आत्मज श्री बी. पी. शर्मा, उम्र-44 वर्ष, निवासी-26 बी, जी पाकेट, मरोदा सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा 11वीं की अंकसूची में इंगलिश में मेरा नाम Rup Narayan Sharma दर्ज है तथा बी. एस. सी. अंकसूची में अंग्रेजी में मेरा नाम Roop Narayan Sharma दर्ज है. 11वीं की अंक सूची का अंग्रेजी नाम Rup Narayan Sharma गलत है. मैं अपने सही नाम Roop Narayan Sharma को सर्विस रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे Roop Narayan Sharma आत्मज श्री बी. पी. शर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
Rup Narayan Sharma आत्मज-श्री बी. पी. शर्मा निवासी-26 बी, जी पाकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	Roop Narayan Sharma आत्मज-श्री बी. पी. शर्मा निवासी-26 बी, जी पाकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लेविन कुमार नाग आत्मज श्री उदय नाग, निवासी-61 ए, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि नाग मेरा सरनेम है उसको मैं परिवर्तित कर नया उपनाम लेविन कुमार सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लेविन कुमार सिंह आत्मज श्री उदय नाग के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
लेविन कुमार नाग आत्मज-श्री उदय नाग निवासी-61 ए, रूआबांधा सेक्टर भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	लेविन कुमार सिंह आत्मज-श्री उदय नाग निवासी-61 ए, रूआबांधा सेक्टर भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक /183/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.—आवेदक भूपेन्द्र शाह मैनेजिंग ट्रस्टी जय जिनेन्द्र चेरी टेबल ट्रस्ट पंकज मिल स्टोर्स संजय गांधी चौक स्टेशन रोड़ रायपुर ने जय जिनेन्द्र चेरी टेबल ट्रस्ट पंकज मिल स्टोर्स संजय गांधी चौक स्टेशन रोड़ रायपुर का पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने का इच्छुक हो तो वे दिनांक 01-10-2010 तक न्यायालीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	जय जिनेन्द्र चेरी टेबल ट्रस्ट पंकज मिल स्टोर्स संजय गांधी चौक स्टेशन रोड़ रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	60,495 रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28-08-2010 को जारी.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक /अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.—आवेदक डॉ. अशीष महोबिया एवं डॉ. स्वाति महोबिया द्वारा उषा फाउंडेशन सांई बाबा नर्सिंग होम न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर ने उषा फाउंडेशन सांई बाबा नर्सिंग होम न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर का पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने का इच्छुक हो तो वे दिनांक 18-10-2010 तक न्यायालीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	उषा फाउंडेशन, सांई बाबा नर्सिंग होम न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	5,000 रु. नगद

3. अचल संपत्ति : निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09-09-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुन्द, (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक/गुमशुदा हेंमर/3616.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेंमर पिथौरा परिक्षेत्र के जम्हर बीट हेतु चालान क्रमांक/1410 दिनांक 16-03-1999 द्वारा जारी किया गया था. उक्त बीट के प्रभारी श्री बैजनाथ बारीक, वनरक्षक थे.

दिनांक 26-06-2010 को उक्त हेंमर श्री बैजनाथ बारीक, वनरक्षक द्वारा बीट गश्ती जम्हर के दौरान जंगल में गुम होना बताया गया. जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना पिथौरा जिला महासमुन्द में दिनांक 23-07-2010 को दर्ज कराया गया. थाना प्रभारी पिथौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/10 दिनांक 23-07-2010 दर्ज किया गया. गुमशुदा हेंमर की खोजबीन किया गया लेकिन उक्त हेंमर नहीं मिला. गुमशुदा हेंमर की प्रकाशन समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22-08-2010 को कराया गया.

गुमशुदा बीट हेंमर की आकृति



उपरोक्त दर्शित हेंमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो निकटतम पुलिस थाना या समीप के वन कार्यालय में तत्काल जमा करावें एवं इस कार्यालय को सूचित करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति गुमशुदा बीट हेंमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग में लाते हुए पाया गया तो वह स्वयं दण्ड का भागी होगा, साथ ही उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी. अतः मैं आदेश देता हूं कि :-

आदेश

क्रमांक/गुमशुदा हेंमर/348 महासमुन्द, दिनांक 09-09-2010

(1) वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शित गुमशुदा हेंमर को वनमंडल के हेंमर स्टाक से अपलेखित किया जाता है.

(2) श्री बैजनाथ बारीक वनरक्षक से गुमशुदा हेंमर की कीमत 100/- (एक सौ रुपये) की वसूली आदेश किया जाता है.

(3) लापरवाहीपूर्वक हेंमर गुमाने के कारण दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है.

देवाशीष बैनर्जी
वनमण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.